

By Post/ E-mail

NHB(ND)/HO/DOS/DAK/2023/02486
December 15, 2023

Managing Director
Saral Home Finance Limited
117, South Ext Plaza II, 209
Masjid Moth, South Ext Part II,
Delhi - 110049

Sir,

Levy of Penalty - Submission of incorrect information in the Schedule II return for the position as on March 31, 2023 - Show cause notice dated September 01, 2023.

Please refer to e-mail communication dated June 05, 2023 and June 14, 2023 regarding the scrutiny of Schedule II return with respect to the position as on September 30, 2022 and March 31, 2023 and later Show-cause Notice which was issued vide our letter No. HO/DOS/DAK/2023/01882 dated September 01, 2023 for Submission of incorrect information in returns filed with NHB.

2. The various returns required to be submitted by the HFCs are governed by the Master Circular on Returns for HFCs issued by the Bank on December 31, 2021. As per the master Directions issued by RBI, HFCs should comply with any reporting requirements prescribed by the NHB from time to time.

3. In this regard, your attention is invited to Chapter I Para 9 of NHB(ND)/DOS/Sup. Circular No.7/2021-22 dated December 31, 2021 wherein inter-alia, it is mentioned that bank would take a serious view in case of incorrect submission of information/particulars by any HFC.

4. It has been observed the company has submitted incorrect information in the Schedule II return submitted for the position as on March 31, 2023.

5. The Company has submitted its reply to the show cause vide letter dated September 19, 2023 which were duly considered and it was observed that the company has failed to submit the correct information in the Schedule II return submitted for the position as on March 31, 2023.

6. Any contravention of the provisions of the National Housing Bank Act, 1987 ("NHB Act") or any default in complying with the directions given or order made by the National Housing Bank or the Reserve Bank of India under any of the provisions of Chapter V of NHB Act is an offence under section 49 of the NHB Act.

डाक/ई-मेल द्वारा

रा.आ.बैंक(नदि)/एचओ/डीओएस/डाक/2023/02486

15 दिसंबर 2023

प्रबंध निदेशक

सरल होम फाइनेंस लिमिटेड

117, साउथ एक्सटेंशन प्लाजा II, 209

मस्जिद मोत, साउथ एक्सटेंशन पार्ट II,

दिल्ली - 110049

महोदय,

अर्थदंड लगाना - 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के लिए अनुसूची II रिटर्न में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के सम्बंध में - 01 सितंबर, 2023 को कारण बताओ नोटिस

कृपया 30 सितंबर, 2022 और 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के संबंध में अनुसूची II रिटर्न की जांच के संबंध में दिनांकित 05 जून, 2023 और 14 जून, 2023 के ई-मेल संचार और बाद में रा.आ.बैंक के पास दाखिल किए गए रिटर्न में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हमारे पत्र संख्या एचओ/डीओएस/डाक/2023/01882 दिनांकित 01 सितंबर, 2023 के माध्यम से कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2. आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक विभिन्न रिटर्न 31 दिसंबर, 2021 को बैंक द्वारा जारी आवास वित्त कंपनियों के लिए रिटर्न पर मास्टर परिपत्र द्वारा शासित होते हैं। भा.रि.बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को समय-समय पर रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

3. इस संबंध में, आपका ध्यान रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/पर्य. परिपत्र संख्या 7/2021-22 दिनांकित 31 दिसंबर, 2021 के अध्याय I पैरा 9 की ओर दिलाया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी उल्लेख किया गया है कि बैंक किसी भी आ.वि.कं द्वारा सूचना/विवरण गलत प्रस्तुत करने के मामले में गंभीरता से विचार करेगा।

4. यह पाया गया है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के लिए प्रस्तुत अनुसूची II रिटर्न में गलत विवरण प्रस्तुत किया है।

5. कंपनी ने दिनांक 19 सितंबर, 2023 को पत्र के माध्यम से उपरोक्त कारण बताने के लिए अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच की गई है और यह पाया गया है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के लिए प्रस्तुत अनुसूची II रिटर्न में सही जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रही है।

6. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("एनएचबी अधिनियम") के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन या किसी भी प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों या आदेश के अनुपालन में कोई चूक। एनएचबी अधिनियम का अध्याय V, एनएचबी अधिनियम की धारा 49 के तहत एक अपराध है।

7. If the contravention or default of the nature referred to in sub-section (1) of section 49 is committed by a housing finance company, the National Housing Bank may under clause (a) of sub-section (1) of section 52A of NHB Act impose on such company, a penalty not exceeding Rs.5000/- (Rupees Five Thousand only).

8. Saral Home Finance Limited by its acts/omissions mentioned in the paragraphs 2 to 4 above has contravened and committed default of the nature referred to in sub-section (1) of section 49 of the NHB Act.

9. In view of the above, you are hereby directed to pay an aggregate amount of ₹ 5,900/- (Rupees Five Thousand Nine hundred only), i.e. ₹5,000 + GST@18% ₹900/- as per the Bank details enclosed as Annexure-I, within 14 days of the date of receipt of this letter in terms of power exercised under provisions of 52A (1)(a) r/w Para 49(1) of The National Housing Bank Act, 1987.

10. The Company should separately disclose the penalty in 'Notes to Accounts' to the Balance Sheet in the Annual Report of the company. The company is also advised to report the matter to its Board of Directors and send a copy of Minutes of the same to the Bank for Information.

11. The Company is required to prominently display on its website penalty levied on the company by NHB.

Yours faithfully,



(Reeja Jayadeesh)
Deputy General Manager
Department of Supervision

Encl.: as above

7. यदि धारा 49 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति का उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट एक आवास वित्त कंपनी द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत ऐसी कंपनी पर रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) तक का जुर्माना हो सकता है।

8. सरल होम फाइनेंस लिमिटेड ने उपरोक्त पैराग्राफ 2 से 4 में उल्लिखित अपने कृत्यों/चूक के द्वारा एनएचबी अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति का उल्लंघन और डिफ़ॉल्ट किया है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के पैरा 49(1) के साथ 52ए(1)(ए) के प्रावधानों के तहत प्रयोग की गई शक्ति के संदर्भ में आपको इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर ₹ 5,900/- (केवल पांच हजार नौ सौ रुपये) अर्थात ₹ 5,000 + जीएसटी@18% ₹ 900/- की कुल राशि का भुगतान संलग्न बैंक विवरण अनुबंध- I के अनुसार करने का निर्देश दिया जाता है।

10. कंपनी को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र में 'नोट्स टू अकाउंट्स' में दंड का अलग से उल्लेख करना चाहिए। कंपनी को यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपने निदेशक मंडल को मामले की रिपोर्ट करे और उसकी कार्यवृत्त की एक प्रति बैंक को जानकारी के लिए भेजे।

11. कंपनी को रा.आ.बैंक द्वारा कंपनी पर लगाए गए अर्थदंड को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है।

भवदीय,


(रीजा जयदीश)

उप महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग

अनुलग्नक: उपरोक्तानुसार

Annexure-I

| S.N. | Type | Particulars |
|------|---------------------------------|---|
| 1. | Beneficiary Name | National Housing Bank |
| 2. | Beneficiary GSTN | 07AABCN2600H1ZY |
| 3. | Beneficiary Address | Core 5A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110 003 |
| 4. | Beneficiary Bank Name | State Bank of India |
| 5. | Beneficiary Bank Branch Address | Pragati Vihar Delhi Branch, Ground Floor, Core-6, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003 |
| 6. | Type of Bank Account | Current Account |
| 7. | Beneficiary Bank A/C No. | 52142903844 |
| 8. | IFCS code of Bank branch | SBIN0020511 |
| 9. | MICR No. | 110002658 |



